

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पंचेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठारसीन अधिकारी -
पूनम सीमा, आर.ए.एस.

राजस्व वाव सं- 150/2024

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/264


1. श्रीमति ग्यारसी पत्नी स्व० सुभाष उम 75 साल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
2. उमोद सिंह पुत्र विशाल उम 66 साल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
3. महेन्द्र सिंह पुत्र विशाल उम 67 साल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
4. विक्रम सिंह पुत्र विशाल उम 38 साल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
5. राजबीर सिंह पुत्र सुभाष उम 63 साल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
6. सतीश कुमार पुत्र सुभाष उम 60 साल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

.....वादी

बनाम

1. अंजना पुत्री सम्पत जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
2. अजीत सिंह पुत्र नेकिराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
3. अमर सिंह पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
4. ईश्वर सिंह पुत्र सम्पत सिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
5. कमल सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
6. काशबी सिंह पुत्र अशोक जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
7. गुरुदेव सिंह पुत्र सम्पत सिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
8. चन्द्रपति पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
9. चन्दो देवी पत्नी सम्पत जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
10. जसवीर सिंह पुत्र अशोक जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
11. दशरथ सिंह पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
12. नरेन्द्र सिंह पुत्र नेकिराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
13. नरपाल सिंह पुत्र नेकिराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
14. पताशी पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
15. पृथ्वी सिंह पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
16. बिमला पुत्री सन्तराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
17. बलबीर सिंह पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०




उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

18. मंजु पुत्री सम्पत जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
19. मोहन सिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
20. मोहर सिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
21. रूपसिंह पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
22. रविन्द्र पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
23. राजकौर पुत्री नैकिराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
24. राजेश पुत्र रणजी जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
25. शमशेर सिंह दत्तक पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
26. शारदा पुत्री सम्पत जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
27. सन्तरा पत्नी अशोक जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
28. सन्जु पुत्री सम्पत जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
29. सुरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- खाता विभाजन

-निर्णय:-

दिनांक:- 2/12/25



(1) वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम खानपुर पटवार हल्का खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सन्वत् 2075- 2078 के खाता संख्या 108 तथा पुराना 58 के ख0 न0 529 रकबा 1.39 हैक्टर ख0 न0 530 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 531 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 532 रकबा 3.33 हैक्टर ख0 न0 536 रकबा 0.01 हैक्टर ख0 न0 537 रकबा 0.04 हैक्टर ख0 न0 538 रकबा 2.55 हैक्टर ख0 न0 539 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 8.62 हैक्टर के समी खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 है जिनका सयुक्त खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 अपना हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। हाल जमाबन्दी सलंगन वाद पत्र है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में दर्ज आराजी में वादीया संख्या 1 हिस्सा 1/48 दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी संख्या 2 का 1/12 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी संख्या 3 का हिस्सा 1/12 वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/12 वादी संख्या 5 का हिस्सा 1/48 तथा वादी संख्या 6 का हिस्सा 1/48 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद वर्णित भूमि कृषि भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण को भारी हक तलफी है तथा सुधार कार्य व अन्य कृषि व अकृषि में परिवर्तन करवाने में भारी हकतलफी है उसके लिये खाता विभाजन का दावा माननीय न्यायालय में पेश है।

उपखण्ड अधिकारी दुहामा

जिला झुंझुनू (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

- (क). कि वाके ग्राम खानपुर पटवार तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075- 2078 के खाता संख्या 108 के ख0 न0 529 रकबा 1.39 हैक्टर ख0 न0 530 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 531 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 532 रकबा 3.33 हैक्टर ख0 न0 536 रकबा 0.01 हैक्टर ख0 न0 537 रकबा 0.04 हैक्टर ख0 न0 538 रकबा 2.55 हैक्टर ख0 न0 539 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 8.62 हैक्टर में वादीया संख्या 1 का हिस्सा व कब्जा 1/48, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/12, वादी संख्या 3 का हिस्सा 1/12, वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/12, वादी संख्या 5 का हिस्सा 1/48 तथा वादी संख्या 6 का हिस्सा 1/48 अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार का कब्जा अनुसार व हिस्सा अनुसार खाता विभाजन कर अलग से लगान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
- (2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 29 की और से श्री सीताराम सेनी एडवोकेट द्वारा वकालतानामा व इकबाली जवाब व प्रतिदावा दिनांक 07.08.2024 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 07.08.2024 को लाई गई।

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :-

1. यह कि वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075- 2078 के खाता संख्या 108 के ख0 न0 529 रकबा 1.39 हैक्टर ख0 न0 530 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 531 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 532 रकबा 3.33 हैक्टर ख0 न0 536 रकबा 0.01 हैक्टर ख0 न0 537 रकबा 0.04 हैक्टर ख0 न0 538 रकबा 2.55 हैक्टर ख0 न0 539 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 8.62 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड व कब्जे काश्त है।
 2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि सयुक्त खातेदारी होने के कारण होने से पक्षकारों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण से प्रतिवादीगणों को भी खाता विभाजन की आवश्यकता हुई है।
- यह कि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगणों का बाहमी बंटवारा कर रखा है उसी बंटवारे के अनुसार दोनों पक्षकार अपने अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने के लिए तैयार हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.02.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 82 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 4135 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस के अनुसार शक्य पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाले ग्राम खानपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 108 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 29 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-आदेश-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाले ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075- 2078 के खाता संख्या 108 के ख0 न0 529 रकबा 1.39 हैक्टर ख0 न0 530 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 531 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 532 रकबा 3.33 हैक्टर ख0 न0 536 रकबा 0.01 हैक्टर ख0 न0 537 रकबा 0.04 हैक्टर ख0 न0 538 रकबा 2.55 हैक्टर ख0 न0 539 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 8.62 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 29 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पूनम मोणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला इन्चार्ज (राज)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 21/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मोणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना



मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व वाद सं.- 159/2024

पूनम मीणा, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/364

ग्यारसी बनाम अंजना आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन

-:निर्णय:-

वादीगण की ओर से श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट की एवं प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 29 की ओर से श्री सीताराम एड की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को श्री पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के सम्मक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 108 के ख0 न0 529 रकबा 1.39 हैक्टर ख0 न0 530 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 531 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0 न0 532 रकबा 3.33 हैक्टर ख0 न0 536 रकबा 0.01 हैक्टर ख0 न0 537 रकबा 0.04 हैक्टर ख0 न0 538 रकबा 2.55 हैक्टर ख0 न0 539 रकबा 1.18 हैक्टर कुल कित्ता 8 कुल रकबा 8.62 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 29 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अमिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला इन्चार्ज (राज.)
पदेन सहायक उप-लेफ्टर, बुहाना